संख्या-14/1671/26-3-2013-10(28)/99-टी0सी0

प्रेषक,

हरिश्चन्द्र,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
समाज कल्याण,
उ0प्र0 लखनऊ।

समाज कल्याण अनुभाग-3 लखनऊ - दिनांक 07 नवम्बर, 2013

विषय- चालू वित्तीय वर्ष 2013-14 में अनुदान संख्या-80 की आयोजनेत्तर पक्ष की योजनाओं हेतु आय-व्ययक प्राविधान के सापेक्ष अवशेष धनराशि की वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक 2534/16/स0क0/लेखा-बजट/2013-14, दिनांक 28-10-2013 एवं पत्र संख्या 2535/16/स0क0/लेखा-बजट/2013-14, दिनांक 28-10-2013 के संदर्भ में तथा शासनादेश संख्या 384(6)/26-3-2013-10(28)/99, दिनांक 09-04-2013 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अनुदान संख्या 80 में समाज कल्याण विभाग(समाज कल्याण एवं अनुसूचित जातियों का कल्याण) के आयोजनेत्तर पक्ष के लेखाशीर्षक 2225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण-एवं 2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण के अंतर्गत चालू कार्यक्रमों पर व्यय किये जाने हेतु निम्न विवरण के अनुसार चालू वित्तीय वर्ष 2013-14 में आय-व्ययक प्राविधान के सापेक्ष अवशेष धनराशि रू0 48.2972 करोड़(रूपये

http://shasanadesh.up.nic.in

अड़तालित करोड़ उन्तीस लाख बहत्तर हजार मात्र) की धनराशि अवमुक्त कर निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय किये जाने हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं -

अनुदान संख्या-80 आयोजनेत्तर (धनराशि हजार रूपये में)

अनुदान संख्या/ लेखाशीर्षक/ योजना/मद का नाम	आय-व्ययक प्राविधान 2013-14	पूर्व में स्वीकृत धनराशि 2013-14	स्वीकृत की जा रही धनराशि 2013-14
राजस्व लेखा 2225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण-आयोजनेत्तर 01-अनुसूचित जातियों का कल्याण 277-शिक्षा- 07-विभाग द्वारा सहायता प्राप्त अनुसूचित जाति के वर्तमान पुस्तकालयों, छात्रावासों और पाठशालाओं का सुधार एवं विस्तार(जिला योजना) 31-सहायता अनुदान-सामान्य(वेतन)	872995	436497	436498
योग-277-2225	872995	436497	436498
2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण 02-समाज कल्याण 107-स्वैच्छा संगठनों को सहायता 03-मान्यता प्राप्त निजी संस्थाओं एवं संगठनों को प्राविधि शिक्षण देने के लिए अनुदान- 31- सहायता अनुदान-सामान्य(वेतन)	92948	46474	46474
योग-107-2235	92948	46474	46474
कुल योग-2225-2235	965943	482971	482972

(रूपये अड़तालिस करोड़ उन्तीस लाख बहत्तर हजार मात्र)

(1) वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या बी-1-640/दस-2013-231/2013, दिनांक 28 मार्च, 2013 में दिये गये दिशा-निर्देशों एवं

http://shasanadesh.up.nic.in

वित्तीय नियमों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि के संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन (एलाटमेन्ट) मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है। धनराशि व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल, फाइनेन्सियल हैण्डबुक के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत शासकीय अथवा सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति आवश्यक हो, उसमें व्यय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाये। धनराशि के व्यय हेतु शासन द्वारा मितव्ययिता के संबंध में समय-समय पर निर्गत सुसंगत वित्तीय नियमों तथा आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये तथा उ0प्र0 बजट मैनुअल के पैरा-88 में इंगित व्यवस्था के अनुसार व्यय को प्राधिकृत विनियोग सीमा एवं स्वीकृति/अवमुक्त धनराशि के भीतर रखा जाये। संभावित व्यय की फेजिंग विभाग के कार्य की प्रकृति एवं अवसर के अनुसार कर लें। जहां तक सम्भव हो, व्यय की फेजिंग प्रतिमाह समान रूप से की जाये।

(2) विभागाध्यक्ष एवं अन्य नियंत्रक अधिकारियों द्वारा बजट आवंटन में इस बात का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाय कि आहरण एवं वितरण अधिकारियों द्वारा कोषागार से धनराशि का आहरण, तत्काल आवश्यकता होने पर ही किया जाय। यदि संबंधित विभाग के आहरण एवं वितरण अधिकारी जनपद स्तर पर उपलब्ध है, तो जनपद स्तर पर व्यय की जाने वाली धनराशियों को संबंधित जनपदों के आहरण एवं वितरण अधिकारी को आवंटित की जाय। ऐसे मामले में विभागाध्यक्ष स्तर पर एकमुश्त धनराशि का आहरण न किया जाय, क्योंकि धनराशि के एकमुश्त आहरण से राज्य के रोकड़ प्रबंधन(कैश मैनेजमेंट) पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है तथा अनावश्यक रूप से बैंकों में खाता खोलकर धनराशि जमा करने की प्रवृत्ति को बढावा मिलता है। किसी भी दशा में धनराशि आहरित कर बैंक/डाकघर में जमा न की जाय।

(3) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय केवल चालू योजनाओं पर ही

http://shasanadesh.up.nic.in

किया जाय और किसी भी दशा में इस धनराशि का उपयोग नई मदों/सेवाओं पर व्यय के लिए न किया जाये तथा शासन की पूर्व स्वीकृति के बिना किसी भी प्रकार का पुनर्विनियोग न किया जाय। इसके साथ-साथ राजकीय धन व्यय करने में उ0प्र0 बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गयी शर्तों की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानकों(स्टैण्डर्स आफ फाइनेन्शियल प्रोप्राइटी) का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जायेगा।

(4) वित्तीय स्वीकृतियों के सापेक्ष व्यय की नियमित संवीक्षा अपने स्तर पर किये जाने की व्यवस्था करें तथा समीक्षा में यदि किसी मामले में सीमाधिक्य व्यय दृष्टिगोचर हो तो उसे तत्काल शासन के समाज कल्याण विभाग तथा संबंधित वित्त(व्यय नियंत्रण) अनुभाग के संज्ञान में लाया जाये इस संबंध में बी0एम0-13 में नियमित रूप से शासन को सूचना उपलब्ध कराई जाये तथा बजट मैनुअल में निर्धारित विभिन्न प्रपत्रों के माध्यम से इस संबंध में निर्धारित कैलेण्डर के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।

(5) वित्तीय वर्ष के अंत में सम्पूर्ण धनराशि एवं वित्तीय वर्ष 2012-13 में निर्गत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

(6) अनुसूचित जाति की अनुदानित प्राइमरी पाठशालाओं के अनुमोदित अध्यापकों को वेतन की धनराशि स्वीकृत एवं तैनात अध्यापकों के सापेक्ष ही आगणित कर पाठशालावार एवं जनपदवार प्रेषित की जायेगी।

यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप सं0-बी-1-640/दस-2013-231/2013, दिनांक 28 मार्च, 2013 में निहित व्यवस्था के अधीन जारी किए जा रहे हैं।

भवदीय,

(हरिश्चन्द्र)

उपसचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-1671(1)/26-3-2013 तददिनांक

प्रतिलिपि संलग्नक सहित निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1- महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।

2- महालेखाकार(लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।

3- कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ एवं अन्य समस्त संबंधित कोषाधिकारी, उ0प्र0 द्वारा निदेशक, समाज कल्याण, उत्तर प्रदेश।

4- वित्त(व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-3/वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1

5- संबंधित मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी द्वारा निदेशक, समाज कल्याण, उ0प्र0।

6- निदेशक, एन0आई0सी0, योजना भवन, लखनऊ।

7- सलाहकार, समाज कल्याण विभाग, उ0प्र0 शासन।

8- गार्डफाइल।

आज्ञा से,

(हरिश्चन्द्र)

उपसचिव

http://shasanadesh.up.nic.in